दिनाक 23.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–23/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आपराधिक प्रकरणों में समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, रेलवे उ0प्र0 को आपराधिक मामलों की समयबद्ध व साक्ष्यपरक विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय से निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने एवं उक्त के क्रम में मुख्यतः निम्न दिशा निर्देश दिये गये।

- विवेचनाधिकारी अपराधों की विवेचना तत्परता से करते हुए आरोप पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा जिन प्रकरणों यथा–376, एससी/एसटी एक्ट आदि में विवेचना पूर्ण करने की समय सीमा दण्ड प्रकिया संहिता, उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन एवं अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित किया जाये।
- पर्यवेक्षण अधिकारी अपने अधीनस्थ विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का निकटता से अनुश्रवण करेंगे कि कोई भी विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे तथा नियत समय सीमा के अन्दर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- अपने अधीनस्थ समस्त विवेचना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को दिये गये निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 लाख 55 हजार रूपये नगद**
- **विदेशी मुद्रा 8 हजार 920**
- **आईफोन, आईफोन घड़ी, आदि बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च, रेलवे सुरक्षा बल बस्ती एवं गोण्डा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी हामिद अशरफ को एयरपोर्ट बैंगलोर से गिरफ्तार कर ट्रान्जिट रिमाण्ड पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 लाख 55 हजार रूपये नगद, विदेशी मुद्रा 8 हजार 920, आईफोन, आईफोन घड़ी, पासपोर्ट आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा रेलवे रिजर्वेशन ई–टिकट में प्रयुक्त रेडमिर्ची तथा ए.एन.एम.एस साफ्यवेयर को धोखाधड़ी करके आन लाइन बेचने का कार्य किया जाता था, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर मु0अ0सं0 269/2019 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि व 43/65/66/66सी/70 आईटी एक्ट पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त उक्त अभियोग में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हामिद अशरफ निवासी रमवापुर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती हालपता घनसौली नवी मुम्बई रेलवे स्टेशन घनसौली के पास थाणे महाराष्ट्र।

बरामदगी

1–01 लाख 55 हजार रूपये नगद

2–विदेशी मुद्रा 8 हजार 920

3–आईफोन

4–आईफोन घड़ी, आदि

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **लगभग 47 लाख रूपये कीमत के चोरी के 931.630 ग्राम सोना**
- **लगभग 35 हजार रूपये कीमत के चोरी के 490.500 ग्राम चाँदी**
- **36 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उरई से कोच रोड कांशीराम कालोनी मोड़ से 04 अभियुक्तों 1—हर्ष उर्फ हैप्पी, 2—रोहित, 3—आशीष, 4—राजबहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 47 लाख रूपये कीमत के चोरी के 931.630 ग्राम सोना, 35 हजार रूपये कीमत के चोरी के 490.500 ग्राम चाँदी, 36 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद व 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 29.01.2021 को थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2021 धारा 380 भादवि में वाछिंत चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हर्ष उर्फ हैप्पी निवासी नया पटेल नगर थाना उरई जनपद जालौन।

2—रोहित निवासी नया पटेल नगर थाना उरई जनपद जालौन।

3—आशीष निवासी कैथवा थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

4—राजबहादुर निवासी निस्वापुर थाना कदौरा जनपद जालौन।

बरामदगी

1—लगभग 47 लाख रूपये कीमत के चोरी के 931.630 ग्राम सोना

2—लगभग 35 हजार रूपये कीमत के चोरी के 490.500 ग्राम चाँदी

3–36 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद

4–01 चार पहिया वाहन

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन, 05 आधार कार्ड**
- **01 एप्पल घड़ी आदि बरामद**

दिनांक 22.02.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टोल प्लाजा के पास से 03 अभियुक्तों 1–रोशन, 2–राहुल, 3–अनमोल उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 लाख 80 हजार रूपये नगद (ठगी के), 05 मोबाइल फोन, 05 आधार कार्ड, 01 एप्पल घड़ी आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.03.2020 को अभियुक्तों द्वारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड कस्टमर को फोन से क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर खाते से आनलाइन ट्रांजेक्सन कर रूपये निकाले सम्बन्धित घटना में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 120/2020 धारा 419/420 भादवि व 66सी, आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोशन निवासी जैन कालोनी पार्ट–3 डीके मोहन गार्डेन थाना बिन्दापुर पश्चिम दिल्ली, मूल पता ग्राम देवीपुर थाना पनियरा जनपद महराजगंज।

2–राहुल कुमार निवासी प्लाट नम्बर 82, शक्ति खण्ड–2, इन्द्रापुरम, थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद मूलपता ग्राम भीखपुर थाना आन्दर जनपद सिवान बिहार।

3—अनमोल उर्फ अन्नू निवासी नीति खण्ड—2 प्लाट नम्बर—03 प्रथम तल थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—02 लाख 80 हजार रूपये नगद

2—05 मोबाइल फोन

3—05 आधार कार्ड

4—01 एप्पल घड़ी आदि

जनपद पीलीभीत/थाना गजरौला

- **पुलिस कार्यवाही में 15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.02.2021 थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1—निजाम व 2—इकराम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त निजाम के विरूद्ध थाना पूरनपुर व थाना गजरौला में 10 अभियोग तथा अभियुक्त इकराम के विरूद्ध 03 अभियोग विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गजरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—निजाम निवासी शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

2—इकराम निवासी शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहलना चौक के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अरशद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खतौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 543/19 धारा 307/414 भादवि व थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 704/20 धारा 380/457 भादवि, मु0अ0सं0 755/20 धारा 420/414 भादवि, मु0अ0सं0 796/20 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 798/20 धारा 414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— अरशद नि0 मो0 गहराबाग खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1– 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

2– 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर

जनपद आगरा/थाना एत्मादपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 08 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 ट्रैक्टर**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 टी.यू.वी कार**
- **03 मोटर साइकिल**
- **5 हजार 440 रूपया नगद आदि बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना एत्मादपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोल्ड स्टोर वाली सड़क के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 08 शातिर अभियुक्तों 1–लायक, 2.राजेन्द्र, 3–मनीष कुमार, 4–राहुल उर्फ बी–2, 5–सत्यप्रकाश, 6–रविन्द्र, 7–उमेशचन्द्र उर्फ गौरव, 8–रविकान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी के 03 ट्रैक्टर, 03 अवैध तमंचा 315 बोर 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 टी.यू.वी कार, 03 मोटर साइकिल, 5 हजार 440 रूपया नगद आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22/23.01.2021 की रात्रि थाना एत्मादपुर व थाना रिजौर क्षेत्र से ट्रैक्टर चोरी की घटनाओ के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, अभियुक्तों से बरामद ट्रैक्टर थाना एत्मादपुर व थाना रिजौर पर पंजीकृत अभियोगो से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना एत्मादपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—लायक निवासी कमालपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।

2.राजेन्द्र निवासी मढ़ा थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।

3—मनीष कुमार निवासी पिलख्तर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।

4—राहुल उर्फ बी—2 निवासी पिलख्तर जैत थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।

5—सत्यप्रकाश निवासी मलई थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

6—रविन्द्र निवासी अकटामई थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

7—उमेशचन्द्र उर्फ गौरव निवासी रजबपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

8—रविकान्त निवाउआ थाना सिडपुरा जनपद कासगंज।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 03 ट्रैक्टर

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस

3—घटना में प्रयुक्त 01 टी.यू.वी कार

4—03 मोटर साइकिल

5—5 हजार 440 रूपया नगद आदि

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना आलापुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **50 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 22.02.2021 को थाना आलापुर व थाना जहाँगीरगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चौघड़ा शाहपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में आरक्षी अमित मौर्य घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 बदमाश 1—रमेश, 2—राहुल घायल हो गये, जिन्हे मौके से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 50 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद जौनपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना आलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रमेश निवासी शाहपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2—राहुल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरमदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस

2—50 हजार रूपये नगद

3—01 मोटर साइकिल

4—01 मोबाइल फोन

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना वजीरगंज

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.02.2021 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएमओ चौराहा व रिफह–आम क्लब के सामने से चेकिंग के दौरान 02 शातिर चोर 1–राजन, 2–अशोक को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 07 मोटर साइकिले बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजन निवासी जगदीशपुर धुनियाराय का पुरवा थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

2–अशोक निवासी ताराचक्र थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद

➢ जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–12 जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 307 भादवि में अभियुक्त योगेन्द्र कुमार उर्फ भगत को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व 03 लाख 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–12 जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34/201/364ए भादवि में अभियुक्त 1–हरवीर सिंह, 2–उदयबीर, 3–सुधीर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 03 लाख 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को फांसी की सजा व 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हरदोई द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 364/376/302/201 भादवि व 5/6 पांक्सो एक्ट में अभियुक्त 1–गुड्डू उर्फ गुल्लू को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड, धारा 376(ए) भादवि में फांसी की सजा व 364 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद एटा/थाना निधौली कला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/506/34 भादवि में अभियुक्त 1–धरमवीर उर्फ धर्मा, 2–रिन्कू, 3–उपेन्द्र को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त धरमवीर उर्फ धर्मा एवं उपेन्द्र को अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष के कारावास व 07–07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया गया है।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना गुरूबक्शगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो प्रथम जनपद रायबरेली द्वारा थाना गुरूबक्शगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 452/376(1)/506 भादवि व 04 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त 1—प्रमोद उर्फ ननकऊ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

—————————